न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 173/2018
RCMS Sace No. 2018/00206

प्रार्थी :—	बनाम	अप्रार्थी:—
सरकार जरिये तहसीलदार रानी		1. श्री देवपुरी आश्रम ट्रस्ट, दादावाड़ी रोड़, महरोली, नई दिल्ली

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—
1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. श्री प्यारे खान, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक 5/9/2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार रानी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम नीपल के हाल खसरा नम्बर 469 रकबा 0.15 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 की भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 118 रकबा 128 बीघा 12 बिस्वा किस्म गै0मु0 नदी थी। उक्त भूमि तहसीलदार देसूरी के आदेश क्रमांक/राज./586 दिनांक 12.07.1971 के जरिये माधवानन्द चेला दीपनारायण के पक्ष में नियमन की गई। जिसका नामान्तरकरण संख्या 266 दायर किया गया। खातेदार माधवानन्द फौत होने पर उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 451 के उनके शिष्य एवं उत्तराधिकारी महेश्वरानन्द चेला माधवानन्द के नाम से राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदारी दर्ज की गई। खातेदार महेश्वरानन्द द्वारा उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को दान की है, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 630 के जरिये उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। चूंकि उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 118 कि किस्म गै0मु0 नदी थी, जिसका आवंटन/नियमन नही किया जा सकता है। अतः ग्राम नीपल के नामान्तरकरण संख्या 266 एवं इसके पश्चात उत्तराधिकार एवं अन्तरण के आधार पर दायर नामान्तरकरण संख्या 451 व 630 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा जिस आदेश को अपास्त कराने का अनुतोष चाहा है, उसकी प्रति प्रस्तुत ही नहीं की है, जो कि पेश की जानी आज्ञापक है। अतः उक्त आदेश की प्रति के अभाव में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज़ की जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम नीपल के हाल खसरा नम्बर 469 रकबा 0.15 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 की भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 118 रकबा 128 बीघा 12 बिस्वा किस्म गै0मु0 नदी थी। उक्त भूमि तहसीलदार देसूरी के आदेश क्रमांक/राज./586 दिनांक 12.07.1971 के जरिये माधवानन्द चेला दीपनारायण के पक्ष में नियमन की गई। जिसका नामान्तरकरण संख्या 266 दायर किया गया, जो सिलसिलेवार दायर हुए उत्तराधिकार एवं अन्तरण के

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नामान्तरकरण से अप्रार्थी के पक्ष में राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई है। चूंकि उक्त भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 118 की किस्म गै0मु0 नदी थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत नदी आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में भी नदी की भूमि का आवंटन/नियमन नही किया जा सकता है, किन्तु प्रकरण में जिस आदेश को अपास्त कराने का अनुतोष चाहा है, उक्त आदेश की प्रति न तो तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत की है एवं न ही उक्त आदेश की प्रति के अभाव में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त स्थिति को विभिन्न अपर न्यायालयों द्वारा आर0आर0डी0 1997 पेज 538 तथा आर0आर0डी0 1992 पेज 129 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों के जरिये विधि विरूद्ध मानते हुए राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्यूअल 1956 के नियम 30 के आज्ञापक सिद्धान्तों की पालना किया जाना आवश्यक माना है। हस्तगत प्रकरण में मूल नियमन आदेश की प्रति प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की है, जो राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्यूअल 1956 के नियम 30 का उल्लंघन है। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार रानी को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्यूअल 1956 के नियम 30 की पालन करते हुए नए सिरे से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर पाली